झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा।

आम नीलामी सूचना

सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के अंतर्गत राज्यसात वाहन (जहाँ है, जिस स्थिति में है); भवनाथपुर वन प्रक्षेत्र के भवनाथपुर वन परिसर के कार्यालय परिसर में रखे गये वनोपज से संबंधित लौट संख्या–1, 2, 3 एवं 21 तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के आवास में पुरानी एवं टुटी हुई कुर्सी, जीप का इंजन इत्यादि की बिक्री दिनांक– 22.03.2023 के पूर्वाहन 11:00 बजे से गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय, गढ़वा में आम नीलामी द्वारा की जायेगी। नीलामी हेतु राज्यसात वाहन एवं उपरोक्त वर्णित लौटों एवं उपस्करों की सूची, क्रमानुसार एवं अन्य शर्तें निम्नवत् है :–

राज्यसात वाहन से संबंधित विवरणी।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या/ इंजन संख्या/ चेचिस संख्या	वाहन जहाँ स्थित है।
1	2	3	4
1	TVS Star City मोटरसाईकिल	Eng. No. - MD625NF1281A74321	डंडई थाना परिसर

भवनाथपुर वन प्रक्षेत्र के कार्यालय परिसर में रखे गये वनोपज से संबंधित लौट की विवरणी।

क्र0सं0	स्थल, जहाँ लौटों को रखा गया है	वनोपज (प्रकाष्ठ, जलावन एवं बल्ली) का लौट संख्या	वनोपज (प्रकाष्ठ, जलावन एवं बल्ली) का अनुमानित आयतन (घनमीटर में)
1	2	3	4
1.	भवनाथपुर वन परिसर के आहाते, भवनाथपुर वन प्रक्षेत्र, भवनाथपुर।	04	22.8461

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के आवास में पुरानी एवं टुटी हुई कुर्सी, जीप का इंजन इत्यादि की विवरणी।

क्र0सं0	उपस्कर का नाम/विवरणी	संख्या/वजन
1	2	3
1.	पुराना जीप का इंजन	1 Pcs.
2.	साईकिल	1 Pcs.
3.	लोहा का कुर्सी पुराना	11 Pcs.
4.	बोलेरो का बम्फर पुराना	1 Pcs.
5.	पुराना पंखा का हेड	4 Pcs.
6.	एक्जास्ट फैन पुराना	1 Pcs.
7.	पुराना पंखा (सिलींग)	2 Pcs.
8.	स्टैण्ड फेन पुराना	1 Pcs.
9.	अन्य स्क्रैप	70 Kg.
10.	पुराना लकड़ी का कुर्सी	5 Pcs.
11.	बिजली का बोर्ड	1 Pcs.
12.	पुराना टायर	18 Pcs.
13.	पुराना ट्यूब	3 Pcs.
14.	गोदरेज का कुर्सी	3 Pcs.
15.	लकड़ी टेबल	1 Pcs.
16.	बेसफोन का हैंडसेट	1 Pcs.

आम नीलामी की शर्तें :–

(1) आम नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान का GST निबंधन होना अनिवार्य होगा।

(2) आम नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्यसात वाहन एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के आवास में रखे गये उपरोक्त वर्णित उपस्करों को क्रय करने के लिए 10,000.00 (दस हजार) रूपये की अग्रधन की राशि (Gate Money) तथा भवनाथपुर वन प्रक्षेत्र के कार्यालय परिसर में रखे गये वनोपज से संबंधित लौटों पर क्रय करने के लिए 50,000.00 (पचास हजार) रूपये की अग्रधन की राशि (Gate Money) नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा के पदनाम से एवं गढ़वा जिला स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में भुगतेय हो, जमा करना होगा।

(3) सफल क्रेता को वाहन/उपरोक्त वर्णित लौटों एवं अन्य उपस्करों का क्रय मूल्य का 20 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 5:00 बजे तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल के कार्यालय में जमा करना होगा।

(4) वाहन/उपरोक्त वर्णित लौटों एवं अन्य उपस्करों के लिए सफल क्रेता को आम नीलामी की तिथि से 21 दिनों के अंदर क्रय मूल्य की पूरी राशि, आयकर एवं GST अधिनियम के तहत् अनुमान्य कर का भुगतान करना होगा तथा GST अधिनियम के तहत् देय कर का भुगतान रिभर्स चार्ज मैकेनिज्म (R.C.M.) के अंतर्गत करना होगा तथा चालान एवं रिटर्न की छायाप्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वाहन/उपरोक्त वर्णित लौटों एवं अन्य उपस्करों का उठाव की अनुमति दी जायेगी।

(5) सफल क्रेता को वाहन/उपरोक्त वर्णित लौटों एवं अन्य उपस्करों का उठाव (जो वाहन जहाँ है वहीं से) अपने खर्च पर करना होगा।

(6) असफल क्रेता को अग्रधन की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेता का अग्रधन की राशि वाहन/उपरोक्त वर्णित लौटों एवं अन्य उपस्करों के क्रय मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।

(7) आम नीलामी की तिथि, समय, स्थान आदि में परिवर्तन/रद्द इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल को सुरक्षित रहेगा।

(8) सफल क्रेता, आम नीलामी की तिथि से 21 दिनों के अंदर वाहन/उपरोक्त वर्णित लौटों एवं अन्य उपस्करों का क्रय मूल्य की राशि, आयकर एवं GST अधिनियम के तहत् देय कर का भुगतान नहीं करता है तो उनके द्वारा जमा किया गया अग्रधन एवं प्रतिभूति की राशि बिना कारण बताये हुए झारखण्ड राज्य सरकार के पक्ष में forfeit कर ली जाएगी।

(9) वाहन क्रय के बाद, वाहन का निबंधन एवं अन्य नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेवारी क्रेता की होगी।

(10) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान उपर्युक्त वाहन/उपरोक्त वर्णित लौटों एवं अन्य उपस्करों को (जो जहाँ है, जिस स्थिति में है) किसी भी दिन कार्यालय अवधि में उनके रखे गये स्थान पर देख सकते हैं।

(11) विवाद होने की स्थिति में उसका अंतिम निपटारा स्थल गढ़वा रहेगा।

Sd/- 17/3/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।